बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो0 ~~9431010102-46~~ /9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो0 9431091417

उपाध्यक्ष :– * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:– * राजानन्द चौधरी
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:– * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:– * विनोद आनन्द

पत्रांक :05

दिनांक 18/2/2015

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– वित्त विभाग के पत्रांक –3ए–2–18/2009–275–वि0 दिनांक 08.01.15 के आलोक में वेतन निर्धारित की तिथि के विकल्प चुनने के अवसर को वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग द्वारा मान्यता नहीं दिए जाने के कारण पूर्व निर्धारित वेतन से वर्त्तमान वेतन निम्न स्तर पर निर्धारित होने के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना–13185 दिनांक 20.09.2012 तथा वित्त विभाग का पत्रांक–3637/वि0, दिनांक 10.04.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के कुल–54 पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के तहत दिनांक–20.09.2012 को उनके सेवा में योगदान की तिथि से 12 वर्षों की सेवा अवधि पूर्ण होने पर प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया (छायाप्रति संलग्न)। इस क्रम में जिन पदाधिकारियों की वित्तीय उन्नयन की तिथि 01.01.2006 के बाद की थी उन सभी पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण 01.01.2009 से करते हुए वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ भी उसी तिथि से अनुमान्य किया गया तथा उस वक्त पदाधिकारियों द्वारा वेतन निर्धारण विकल्प दिये जाने पर उस पर कोई संज्ञान वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग द्वारा नहीं लिया गया।

इस संदर्भ में संघ द्वारा वित्त विभाग से लगातार माँग किया जाता रहा कि पदाधिकारियों को वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ उन्नयन की तिथि से ही मिलना चाहिए क्योंकि वित्तीय उन्नयन देने में हुई विलम्ब के लिए पदाधिकारी किसी भी प्रकार से दोषी नहीं हैं। कालान्तर में संघ की माँगों पर विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं किये जाने पर बाध्य होकर संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका भी दायर किया गया।

इसी क्रम में वित्त विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से 01.01.2006 से 12.07.2010 के बीच ए0सी0पी0 नियमावली, 2003 के तहत ए0सी0पी0 देय होने पर अपुनरीक्षित वेतनमान के पुनरीक्षित प्रतिस्थानी वेतनमान में वित्तीय उन्नयन देय तिथि से अनुमान्य किया गया।

उक्त के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 39वीं बैच के पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण का विकल्प 1 जुलाई, 2008 से चयनित कर वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग को दिया गया लेकिन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग द्वारा उसका संज्ञान न लेते हुए सभी पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण पुनरीक्षित वेतन निर्धारण नियमों के तहत वेतन उन्नयन की तिथि से ही किया जा रहा है। जिसके कारण उक्त बैच के सभी पदाधिकारियों का वर्त्तमान वेतन पूर्व में प्राप्त हो रहे वेतन से निम्न स्तर पर निर्धारित हो जा रहा है (नमूना वेतन पूर्जा की छायाप्रति संलग्न)।

चुँकि प्रासंगिक पत्र के निर्गत होने से पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के प्रासंगिक अधिसूचना के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प चयन करने का विकल्प संबंधित पदाधिकारियों के पास था ही नहीं, ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से विकल्प देने की निर्धारित अवधि में विकल्प देने का कोई प्रश्न ही नहीं था। प्रासंगिक वित्त विभागीय पत्र निर्गत होने की तिथि 08.01.2015 के तुरंत बाद संबंधित पदाधिकारियों द्वारा विकल्प का चयन का वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग को संसूचित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अनुरोध होगा कि वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग को उक्त विकल्प के चयन के आधार पर वेतन पूर्जा निर्गत करने की कृपा की जाय ताकि पदाधिकारियों का पुनरीक्षित वेतन वर्त्तमान वेतन से निम्न स्तर पर निर्धारित होने की समस्या का समाधान हो सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/ –
(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपि :– श्री प्रभात शंकर, भा0प्र0से0, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/15
(सुशील कुमार)
महासचिव